ROOTINDEXING
JOURNAL ABSTRACTING AND INDEXING SERVICE
INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in July 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा की भूमिका

डॉ रेखा सुमन, अतिथि विद्वान्, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय मेहगांव, जिला भिण्ड

शोध सारांश

महिलाओं कि सामाजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकास योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें महिला जागृति योजना, समन्वित विकास योजना, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपनी बेटी अपना धन योजना, ग्रामीण विकास और शक्ति सम्पन्नता आदि मुख्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की सार्थकता के बारे में अलग–अलग धारणाएँ हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक विकास के अनुसार आजादी के 75 वर्षों के बाद भी महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई हैं।

कुंजी शब्द : उच्च शिक्षा, योजना, शक्ति, सम्पन्नता, राष्ट्रीयता, भूमिका

शिक्षा किसी भी देश की समृद्धि की जड़ है जिस पर उस देश का चहुँमुखी ओर से आगे बढ़ता है। इस संदर्भ में महिला–शिक्षाध्साक्षरता सोने में सुहागा का काम करती है। यद्यपि शिक्षा किताबी और व्यावहारिक दोनों ही महत्वपूर्ण ही नहीं अनिवार्य भी हैं, परन्तु आज के वैज्ञानिक युग में महिला– साक्षरता का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि परिवार, समाज और देश को सुख–समृद्धि की आशा से महिलाएँ ही सुशोभित करती 'शिक्षा' मनुष्य को उसकी मनुष्यता से अवगत करके अन्य प्राणियों से उसकी अलग पहचान बनाती है। शिक्षा के कई रूप है जो किसी भी समाज में प्रचलित है जिनको वह समाज उसमें रहने वाले लोग ग्रहण करते हैं। इनमें प्रमुख हैं –

1. औपचारिक शिक्षा।
2. अनौपचारिक शिक्षा।
3. अनुभवजन्य शिक्षा।
4. बातचीत द्वारा।

प्रस्तुत संदर्भ का विषय 'महिला साक्षरता है जिसमें 'महिला' का महत्व अक्षुण्य है। 'साक्षरता' 'शिक्षित होने का भाव है। यह एक दीर्घकालीन प्रयास है। औपचारिक शिक्षा बधी– बधाई पाठ्यक्रमयुक्त स्कूली शिक्षा है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी समान चीज सीखता है क्योंकि शिक्षा–पद्धति, पाठ्यक्रम, परीक्षा व कक्षा के चौखटे में फिट रहती है औपचारिक शिक्षा। इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा दूसरों के अनुभवों से सीखी जाती है। दूसरे लोगों से संरचनात्मक ढंग से सीखना और शिक्षा से दोनों जीवन के निर्णायक–विवेचनात्मक, बातचीत दारा और अनौपचारिक ढंग से प्राप्त होती हैं किसी भी परिवार को पूर्ण साक्षर होने से तीन पीढ़ियाँ लग जाती हैं। महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया का भी एक अभिन्न अंग है। इसीलिए देश की स्वतंत्रता के बाद इसे उच्च प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में विद्यालय, शिक्षक शिक्षार्थी सभी की संख्या में वृद्धि हुई है।

गाँव हमारे देश की सबसे पुरानी व जीवित संस्थाएँ हैं और हमारे सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई हैं। आज तक इनकी मौलिक विशेषता नहीं बदली है। नेहरूजी ने एक बार लिखा था मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं देश में घूमा हूँ .....मैं हिमालय में अपने पर्वतीय क्षेत्रों के दूर–दराज के गाँवों में जाता हूँ और वहीं दो चीजों की मांग होती है 'संचार और स्कूल'। इससे साक्षरता की आवश्यकता और महत्व स्वयं स्पष्ट है।'

8 सितम्बर 1988 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने कहा था कि 'निरक्षता भी हमारी प्रगति में बड़ी बाधा बनी हुई है।' राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी साक्षरता अभियान को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा– प्रत्येक समाज के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व है। चाहे वह विकासशील समाज हो, चाहे महिला हो या आधुनिक विकसित समाज शिक्षा, विकास की गति निर्धारित करती है एवं समाज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाती है। यह वैयक्तिक जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करती है। यादव के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है जो उसके व्यावसायिक जीवन के चयन में सहयोग प्रदान करती है। शिक्षित महिला समाज एवं परिवार के महत्व के साथ उनके प्रति अपने दायित्व को अच्छी तरह समझती है और उनका निर्वाहन भली–भांति करती है जबकि अशिक्षित ऐसा नहीं कर पाती है।

शिक्षा के द्वारा ही महिला परम्पराओं के बंधन से मुक्ति की बात सोचने योग्य होती है। शिक्षित महिला परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं से हटकर व्यवसाय चयन की कुशलता प्राप्त करती है। साथ ही वह अन्य व्यवसायों से सम्बन्धित कुशलता के संदर्भ में भी ज्ञान प्राप्त करती है और उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त करने में सफल होती है। वर्तमान महिला समाज में इसका महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि इसमें शिक्षा और व्यवसाय अन्तर्सम्बन्धित हो गया हैं और इस अन्तर्सबंध होने के कारण शिक्षा को ही समाज का आर्थिक आधार माना जाने लगा। शिक्षित महिला आधुनिक नवीन तकनीकी को ठीक तरह से जान पाती है। नवीन तकनीकी को समझ पाना अशिक्षित महिला के बस की बात नहीं है। अतः शिक्षा महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ कृषि विकास के लिए अतिआवश्यक है। वे किसी भी तकनीकी बात को आसानी से समझ लेती हैं और वैसा ही करती हैं जिससे उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। अतः शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। प्राथमिक शिक्षा और महिलाएँ – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना तथा आठवीं योजना में 21वीं सदी के पूर्व 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को महत्त्व दिया गया जिसमें बच्चों के लिए गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया। आठवीं योजना के अन्तर्गत संशोधित नीति को व्यवहार में लाने के लिए तीन योजनाएँ प्रस्तावित हैं– 1. सातवीं योजना के रेखांकित सभी योजनाओं को बनाए रखना। 2. प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन शिक्षक और तीन कमरों की संभावनाओं का विस्तार। 3. योजना क्षेत्र का विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक। 1979–80 में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत स्कूल छोड़ देने अथवा स्कूल न जा सकने वाली

लड़कियों को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा दिलाना शामिल था। इसमें राज्योंध्केन्द्र शासित प्रदेशों को सामान्य सहशिक्षा तथा लड़कियों वाले केन्द्र चलाने के लिए क्रमशः 50:50 तथा 9:1 के अनुपात में सहायता दी जाती है। अब इसमें मात्र नामांकन नहीं अपितु स्थायित्व एवं उपलब्धि पर ध्यान दिया गया जिसमें लड़कियों और कामकाजी बच्चों के लिए एक अवधारणा को बदल दिया जाता है जो उन्हें समतुल्य वैकल्पिक शिक्षा उपलब्ध कराती है। मध्यप्रदेश में शिक्षा सुविधाएँ – शिक्षा एवं साक्षरता की दृष्टि से म.प्र. अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ राज्य है। प्रदेश में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर निम्न प्रकार से है –

1. साक्षरता – 1961 की जनगणना के अनुसार म.प्र. राज्य में केवल 10 प्रतिशत साक्षरता थी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस हेतु किये गये प्रयासो के परिणामस्वरूप सन् 2011 में राज्य की साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि देश में साक्षरता का प्रतिशत 73.0 प्रतिशत है। राज्य में पुरुषों की साक्षरता 78.7 प्रतिशत महिलाओं में साक्षरता 59.2 प्रतिशत है जबकि भारत में पुरुषों में 80.9 प्रतिशत और महिलाओं में 64.6 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है।

2. स्कूल शिक्षा – राज्य में सन् 2012–13 में 83,412 प्राथमिक शालाएँ, 29,282 माध्यमिक शालाएँ और 13,161 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7,401 शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकन्डरी स्कूल वर्तमान में कार्यरत है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 2014 15 में रु. 14,922 करोड़ का प्रावधान जो 2013–14 के प्रावधान की तुलनामें रु. 3,124 करोड़ अधिक, माध्यमिक व उच्चतर षिक्षा के लिए 2014–15 में रु. 5,296 करोड़ का प्रावधान (2013–14 की तुलना में रु.1,997 करोड़ अधिक),है।

3. उच्च शिक्षा – उच्च शिक्षा के विकास नियमन एवं नियंत्रण के लिए 27 जुलाई 1973 को राज्य में मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का गठन किया था। इसका मुख्यालय भोपाल में है। राज्य में प्रस्तावित 4 शासकीय विश्वविद्यालय है,तथा 19 सामान्य विश्वविद्यालय है। वर्तमान में राज्य में 429 शासकीय महाविद्यालय है।

हाल ही में 5 वाँ विश्व आयुर्वेद सम्मेलन 7–10 दिसंबर, 2012 के बीच भोपाल में आयोजित किया गया है, जिसमें 26 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधि व 4000 आयर्वेद विशेषज्ञ भाग लिये। इस सम्मेलन का आयोजन मध्यप्रदेश सरकार ,विज्ञान भारती, आरोग्य भारती, तथा विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। सम्मेलन के दौरान भारत के सभी 5 आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उपस्थित रहें । ज्ञात हो कि गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर न केवल भारत का अपितु विश्व का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना अगस्त 1947 में हुई थी।

4.स्वास्थ्य शिक्षा – राज्य में चिकित्सा शिक्षा हेतु रु. 582 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में कई चिकित्सा महाविद्यालय है जहाँ एलोपैथी पद्धति से चिकित्सा की नर्सिंग महाविद्यालय तथा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है जहाँ स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है शिक्षा दी जाती है. साथ ही शासकीय आयर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सालय, प्रदेश के चार आयुर्वेदिक महाविद्यालयों (भोपाल, ग्वालियर, रीवा व उज्जैन) में पीजी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्यवाही पूर्ण शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल में पीजी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना कार्यरत हैं।

5. तकनीकि शिक्षा – वर्ष 2012–13 राज्य में कुल 358 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं है। तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास हेतु 2014–15 में रु.690 करोड़ का प्रावधान है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारतीय उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख देश के रूप में उभरा है, लेकिन बालिकाओं के प्रति अब भी देश के कई भागों में भेदभाव किया जाता है। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे महिलाओं के कल्याण के लिए सेवाएँ सुलभ और सुगम बनाने में मदद मिलेगी और जनता को बालिकाओं के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की क्षमता के लिए शिक्षा कार्यक्रम – महिलाओं में शिक्षा के स्तर की कमी के आधारभूत कारण के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति जिम्मेदार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में इस बात को भी स्वीकार किया गया। अतः इसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करके उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और असमानताओं को दूर करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु **'महिला सामाख्या'** योजना तैयार की गई जिसका उद्देश्य ऐसी कार्य विधि का निर्माण करना है ताकि महिलाओं को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएँ जिससे वे अपनी शिक्षा के विषय में अपनी योजना स्वयं बना सकें। इनमें प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षण निलयम्, ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, समर्थन सेवाएँ आदि शामिल है।

'महिला सामाख्या' एक केन्द्रीय योजना है जो अप्रैल 1989 में शुरू की गई। प्रत्येक निर्धारित गाँव में महिला संघों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। इन राज्यों के शिक्षा–मंत्री इन समितियों के अध्यक्ष हैं। प्रारंभ में इसका श्रीगणेश एक इंडो–डच परियोजना के रूप में हुआ जिसे नीदरलैण्ड सरकार शत–प्रतिशत सहायता देती है। इस कार्यक्रम का केन्द्र– बिन्दु महिला और उससे संबंधी समस्याएँ हैं जिसमें महिला संघों से मदद ली जाती है तथा महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्यक्रम की सूचना, उनके आस–पड़ोस के पर्यावरण के विषय में जानकारी देना ही नहीं बल्कि इसका सर्वाधिक उद्देश्य महिलाओं को उनके व्यक्तित्व से जुड़े मुद्दों एवं समाज में उनके छवि के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है। यह कार्यक्रम समीक्षात्मक विचार एवं विश्लेषण की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। इस योजना का केन्द्र–बिन्दु महिला साक्षरताधशिक्षा क सभी पक्षों अर्थात् शिक्षा के प्रति ललक पैदा करना, अनौपचारिक, प्रौढ़ एवं विद्यालय से पूर्व सतत् शिक्षा के नवीन शैक्षणिक उपादान प्रस्तुत करता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को प्रमुखता दी गई। इसके मुख्य लक्ष्यों में प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन तथा व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त करने पर बल दिया गया जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती आवश्यकताओं में समन्वय हो। इसकी पूर्ति के लिए शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं उन्मुक्त माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। बदलते परिवेश में अध्यापन के विकसित तरीकों, गैर–सरकारी संस्थाओं तथा

छात्र स्वयं सेवकों की बढ़ती सहभागिता से साक्षरता कार्यक्रम को जीवंतता मिली है। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षा की सर्वत्र व्यापकता के लिए तथा भिन्न–भिन्न लक्ष्य निर्धारण के तरीकों की बात आठवीं योजना में सोची गई।

महिला जागरूकता अभियान– बजट में 150 करोड़ रुपये खर्च करके बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना बनाई गई। यह योजना गृह मंत्रालय चलाता है। इसके साथ ही बालिकाओं और महिलाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाये जा रहे है । स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए गए है। इसी तरह निर्भया कोष का इस्तेमाल कर दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में स्थित सरकारी और निजी अस्पतालाओं में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर खोले गए है।

भारतीय रेलवे में साक्षरता मिशन– रेलवे ने इस दिशा में एक गहन कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें सम्पूर्ण भारत में रेल्वे कर्मचारियों के परिवारों के 11,300 व्यक्तियों ने 409 साक्षरता प्रशिक्षण केन्द्रों में अपने नाम लिखवाये जिसमें सर्वाधिक उत्तर रेलवे ने 100 केन्द्र खोले। इनकी अवधि 5–6 महीने है। यही नहीं उत्तर रेलवे ने 1990 तक रेल कर्मचारियों के परिवारों के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के शत–प्रतिशत प्रतिरक्षण का लक्ष्य प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वकांक्षा योजना तैयार की है और प्रतिवर्ष साक्षरता मेले का आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार विभिन्न अध्ययनों के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं

- संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार निर्णय की प्रक्रिया में संसाधनों के वितरण में समान अवसर प्राप्त नहीं होते।
- महिला विकास हेतु जिन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं, उनके संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए उनके प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे लाना तथा समय–समय पर विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- अधिकांश महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण इनका आर्थिक व सामाजिक शोषण किया जा रहा हैं, इसलिए शिक्षा का तीव्र गति से प्रचार–प्रसार करना चाहिए।
- ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

महिलाओं के विकास के लिए स्वतंत्रता पश्चात् केंद्रीय और राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम उठाए, लेकिन अधिकतर महिलाएँ इससे वंचित रह गई इसलिए इन कार्यक्रमों की कार्यपद्धति तथा इनके क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता हैं। समय–समय पर महिला विकास के संदर्भ में मूल्यांकनपरक शोध अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे महिलाओं कि आर्थिक स्थिति का पता चलता रहेगा और विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करते हुए महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में उनके सामाजिक , आर्थिक विकास के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. त्रिवेदी एवं शुक्ला रिसर्च मैथ्डोलॉजीध्कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
2. मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्गदर्शिका)
3. ग्रमीण सशक्तिकरण ग्रंथमाला–18, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2011
4- महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ, रिचा भुवनेश्वरी, रितु पब्लिकेशन्स जयपुर, 2011

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia
SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY
ADVANCED SCIENCE INDEX
ADVANCED SCIENCES INDEX
Scientific Indexing Services